प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला......भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी सवाई माधोपुर...थाना........ प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर.. (प्र.सू.रि.स.) ....281/2023......................दिनांक) ....27/10/2023..........

2. (अ) अधिनियम ... भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें.........7
(ब) अधिनियम ....धारायें.................. ....
(स) अधिनियम ....धारायें...
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......473.........समय..........6.20 PM..........
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक ....गुरूवार 26.10.2023/05:00 पी.एम.....................
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित रिपोर्ट

5. घटनास्थल..............चौथ का बरवाडा...
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी....बजानिव दिशा दक्षिण–पश्चिम, दूरी करीब 30 कि.मी...
(ब) पता ....बीट सख्या ....जरायम देही सं...................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना..............जिला..................

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम ....श्री छोटूलाल ....
(ब) पिता/पति का नाम ....श्री किशन गोपाल............जाति..................माली ....
(स) जन्म तिथि/वर्ष .... 22 वर्ष...
(द) राष्ट्रीयता...भारतीय ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह..........................
(र) व्यवसाय...
(ल) पता.........निवासी ग्राम चैनपुरा, पुलिस थाना चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर.

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
सांवलराम कुम्हार पुत्र श्री लडडूलाल, जाति कुम्हार, उम्र 55 वर्ष निवासी गांव गम्भीरा, पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर हाल लाईनमैन प्रथम जी.एस.एस चौथका बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–............कोई नही................

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें).......
....9,000/–रू0 रिश्वत राशि ....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........................
.............,.............9,000/–रू0 रिश्वत राशि ....

11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं..............

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):–

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसीबी सवाई माधोपुर। विषयः– रिश्वत लेते हुये अधिकारी व कर्मचारी को रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं छोटूलाल पुत्र किशन गोपाल जाति माली, उम्र 22 वर्ष व भूरालाल पुत्र बजरंगलाल माली उम्र 30 वर्ष, निवासीगण चैनपुरा, पुलिस थाना चौथका बरवाडा के निवासी है। हमारे गांव चैनपुरा में हल्का विजयपुरा में 14 व्यक्तियों का कनेक्शन का ग्रुप है। हमारी हलका विजयपुरा में जो डीपी लगी हुई थी, जो बीस दिन पहले जल गयी थी। डीपी बदलवाने के लिये मैं व भूरालाल जी.एस.एस चौथका बरवाडा में एईएन साहब धनराज मीना के पास गये थे, तो उन्होने हमसे डीपी बदलने के सात हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। इस पर हमने एईएन साहब को सात हजार रूपये दे दिये थे, उसके बाद भी एईएन साहब ने डीपी देने में 15 दिन लगा दिये और कहा की तुमको तीन हजार रूपये और देने पडेंगे, तो हमने डीपी देने के बाद तीन हजार रूपये देने के हांमी भर दी थी। उसके बाद एईएन साहब ने हमको डीपी दे दी, डीपी को लेकर हम हमारे ग्रुप के कनेक्शन विजयपुरा में ले गये। डीपी रखने के लिये हमने लाईनमैन सांवलराम कुम्हार से बातचीत की तो लाईनमैंने ने डीपी पोल पर लगाने के लिये दो हजार रूपये रिश्वति राशि की मांग की एवं मेरे पिताजी किशन गोपाल के नाम से कृषि कनेक्शन वरियता अनुसार 243 सिरीयल नम्बर पर कनेक्शन लगाना था। परन्तु विभाग ने हमारे 243 नम्बर को छोडकर 400 सीरियल नम्बर तक कनेक्शन कर दिये तो हमारे वरीयता अनुसार कनेक्शन को लगवाने के लिये मैं लाईनमैन सांवलराम से मिला तो उसने मेरे से सात हजार रूपये की मांग की और कहा पैसे देने के बाद 5–7 दिन में तेरा काम कर दूंगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत राशि नही देना चाहते है। बल्कि उनको रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। प्रार्थीगण छोटूलाल पुत्र किशनगोपाल माली, उम्र 22 वर्ष, भूरालाल पुत्र बजरंगलाल माली, उम्र 30 वर्ष, निवासीगण चैनपुरा, पुलिस थाना चौथका बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर। मोबाईल नम्बर 9521514841, 8890470792

Vivek Soni

"कार्यवाही पुलिस"

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांकः– 23.10.2023 समय 11:00 ए.एम. पर श्री रमेश कुमार कानि. 469 ने मन पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी को अवगत कराया कि मेरे पास श्री छोटूलाल पुत्र श्री किशोरीलाल जाति माली निवासी चैनपुरा, पुलिस थाना चौथ का बरवाडा का व्हाटसेप कॉल आया व मुझे बताया कि हमारे गांव चैनपुरा में हलका विजयपुरा में 14 व्यक्तियों का कनेक्शन का ग्रुप है। हमारी हलका विजयपुरा में जो डीपी लगी हुई थी, जो बीस दिन पहले जल गयी थी। डीपी बदलवाने के लिये मैं व भूरालाल जी.एस.एस चौथ का बरवाडा में एईएन साहब धनराज मीना के पास गये थे, तो उन्होने हमसे डीपी बदलने के सात हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। इस पर हमने एईएन साहब को सात हजार रूपये दे दिये थे, उसके बाद भी एईएन साहब ने डीपी देने में 15 दिन लगा दिये और कहा की तुमको तीन हजार रूपये और देने पडेंगे, तो हमने डीपी देने के बाद तीन हजार रूपये देने के हांमी भर दी थी। उसके बाद एईएन साहब ने हमको डीपी दे दी, डीपी को लेकर हम हमारे ग्रुप के कनेक्शन विजयपुरा में ले गये। डीपी रखने के लिये हमने लाईनमैन सांवलराम कुम्हार से बातचीत की तो लाईनमैने ने डीपी पोल पर लगाने के लिये दो हजार रूपये रिश्वती राशि एवं मेरे पिताजी किशन गोपाल के नाम से कृर्षि कनेक्शन वरियता अनुसार 243 सिरीयल नम्बर पर कनेक्शन लगाने के लिये लाईनमैन सांवलराम ने मेरे से सात हजार रूपये की मांग कर रहा है। मै चौथ का बरवाडा में हूँ। मेरे पास साधन नही होने के कारण मे आपके कार्यालय मे नही आ सकता। इस पर मन पुलिस निरीक्षक को कानि. रमेश कुमार द्वारा बताये गये हालात से मामला रिश्वत राशि लेन–देन का पाया जाने पर रमेश कुमार कानि. से कार्यालय आलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर वाईस रिर्काडर को चालू बन्द करने की प्रक्रिया समझाकर व परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी को रिकॉर्डर देने से पूर्व अपना परिचय देकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर कार्यालय में उपस्थित आकर हालात अवगत कराने की हिदायत कर श्री रमेश कुमार कानि. को मय वाईस रिकार्डर के रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु चौथ का बरवाडा के लिये प्राईवेट वाहन से रवाना किया गया। इसके पश्चात उसी दिन समय 05.00 पी.एमः पर श्री रमेश कुमार कानि0 कार्यालय से रवानाशुदा बाद रिश्वत मांग सत्यापन के उपस्थित कार्यालय आया और मन पुलिस निरीक्षक को वाईस रिकार्डर मय प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर चौथ का बरवाडा पहुंचा, जहां पर चौथ का बरवाडा कस्बे में परिवादी श्री छोटूलाल पुत्र श्री किशोरीलाल जाति माली निवासी चैनपुरा, पुलिस थाना चौथ का बरवाडा व एक अन्य व्यक्ति उपस्थित मिला जिसने पूछने पर अपना नाम भूरालाल सैनी पुत्र बजरंगलाल होना बताते हुये उक्त दोनो ने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड व बिल की छायाप्रति के इस आशय का पेश किया कि मैं छोटूलाल पुत्र किशन गोपाल जाति माली, उम्र 22 वर्ष व भूरालाल पुत्र बजरंगलाल माली उम्र 30 वर्ष, निवासीगण चैनपुरा, पुलिस थाना चौथ का बरवाडा के निवासी है। हमारे गांव चैनपुरा में हलका विजयपुरा में 14 व्यक्तियों का कनेक्शन का ग्रुप है। हमारी हलका विजयपुरा में जो डीपी लगी हुई थी, जो बीस दिन पहले जल गयी थी। डीपी बदलवाने के लिये मैं व भूरालाल जी.एस.एस चौथ का बरवाडा में एईएन साहब धनराज मीना के पास गये थे, तो उन्होने हमसे डीपी बदलने के सात हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। इस पर हमने एईएन साहब को सात हजार रूपये दे दिये थे, उसके बाद भी एईएन साहब नें डीपी देने में 15 दिन लगा दिये और कहा की तुमको तीन हजार रूपये और देने पडेंगे, तो हमने डीपी देने के बाद तीन हजार रूपये देने के हांमी भर दी थी। उसके बाद एईएन साहब ने हमको डीपी दे दी, डीपी को लेकर हम हमारे ग्रुप के कनेक्शन विजयपुरा में ले गये। डीपी रखने के लिये हमने लाईनमैन सांवलराम कुम्हार से बातचीत की तो लाईनमैने ने डीपी पोल पर लगाने के लिये दो हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग की एवं मेरे पिताजी किशन गोपाल के नाम से कृर्षि कनेक्शन की डीपी वरियता अनुसार 243 सिरीयल नम्बर पर कनेक्शन लगाना था। परन्तु विभाग ने हमारे 243 नम्बर को छोडकर 400 सीरियल नम्बर तक कनेक्शन कर दिये तो हमारे वरीयता अनुसार कनेक्शन को लगवाने के लिये मैं लाईनमैन सांवलराम से मिला तो उसने मेरे से सात हजार रूपये की मांग की और कहा पैसे देने के बाद 5–7 दिन में तेरा काम कर दूंगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत राशि नही देना चाहते है। बल्कि उनको रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन मन कानिस्टेबल द्वारा किया गया व प्रार्थना पत्र व परिवादीगण के बताये अनुसार हालात से आपको अवगत करवाया गया। मामला रिश्वत राशि लेन–देन का पाया जाने पर आपके निर्देशानुसार परिवादीगण को वाईस रिकॉर्डर चालू बन्द करने की विधि समझाकर चालू कर अपना परिचय बोलकर वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु एईएन धनराज मीना व लाईनमेन सांवलराम कुम्हार के पास जी.एस.एस. चौथ का बरवाडा रवाना किया। मैं वही आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये वहीं मुकीम हो गया। परिवादीगण छोटूलाल व भूरालाल कुछ समय पश्चात मन् कानिस्टेबल के पास आये और रिकार्डर मन् कानि. को पेश किया, रिकॉर्डर को मन् कानि. ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी छोटूलाल ने मन् कानि. को बताया कि हम दोनो आपके पास से रवाना होकर जी.एस.एस. चौथ का बरवाडा पहुंचे, जहां हमने एईएन साहब व लाईनमैन सांवलराम के बारे में पूछताछ की तो एईएन साहब जी.एस.एस. पर उपस्थित नही होना ज्ञात हुआ तथा लाईनमैन सांवलराम जी.एस.एस. में उपस्थित होना ज्ञात हुआ। इस पर मैं भूरालाल को जी.एस.एस के बाहर छोडकर लाईनमैन सांवलराम के पास जी.एस. एस चौथ का बरवाडा के अन्दर पहुंचा, जहां पर सांवलराम मुझे जीएसएस में मिला, जिससे मैने हमारे कार्य से

Vivek Soni

संबंधित वार्ता की तो लाईनमैन सांवलराम ने मेरे से रिश्वती राशि दो हजार रूपये की मांग की और कहा की जब भी मै तेरा काम करू पैसे उसके बाद दे देना, पैसे देने की जिम्मेदारी तेरी होगी। इसके बाद में मैने मेरे पिताजी के नाम से पैरायटी कनेक्शन की बातचीत की तो लाईनमैन ने किसी से फोन पर बात करके सात हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग की। इसके पश्चात में थोडी देर बात करके आपके पास आ गया। इसके पश्चात परिवादीगण ने मन् कानि. को बताया की अभी नवरात्रा चल रहे हमें हमारे घरवालों के साथ पूजा के लिये चौथ माता मंदिर में जाना आवश्यक है। इसलिये हम दोनो आपके साथ सवाई माधोपुर नही चल सकते तथा परिवादीगण ने बताया कि दशहरा के बाद हम दोनो आपके कार्यालय में उपस्थित हो जावेंगे। इस पर मन् कानि. ने परिवादीगण को मुनासिफ समझाईस कर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर आने की हिदायत कर परिवादीगण को वहीं से रूखसत कर प्रार्थना पत्र व वाईस रिकार्डर के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूँ। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वाईस रिकार्डर को कार्यालय लेपटॉप में अटेच करवाकर परिवादी व आरोपी के बीच हुई रिश्वत संबंधी वार्ता को सुना गया। वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्तानुसार आरोपी की रिश्वत मांग स्पष्ट है। अतः आईन्दा परिवादी के ब्यूरो के कार्यालय आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। वाईस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात दिनांक 25.10.2023 समय 01.30 पी.एम पर परिवादी छोटूलाल माली पुत्र किशनगोपाल व भूरालाल पुत्र बजरंग लाल सैनी निवासीगण चैनपुरा, पुलिस थाना चौथ का बरवाडा उपस्थित कार्यालय आये और मन पुलिस निरीक्षक को पूर्व में रमेश कुमार कानि. को दिनांक 23.10.2023 को पेश प्रार्थना पत्र व हुई सत्यापन वार्ता के बारे में बताया। इस पर परिवादीगण के समक्ष दिनांक 23.10.2023 को हुई परिवादी छोटूलाल व लाईनमैन सांवलराम के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड है को कार्यालय आलमारी से निकलवाकर लेपटॉप में अटेच करवाकर सुना गया तथा परिवादी छोटूलाल ने बताया कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। वही लाईनमैन सांवलराम है। वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्तानुसार आरोपी की रिश्वत मांग स्पष्ट है। चूंकि आज श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है, इसलिये परिवादीगण का श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से उनका परिचय करवाकर अब तक की कार्यवाही से अवगत करवाया एवं परिवादीगण ने बताया की अभी हमारे हमारे पास लाईनमैन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 9,000/— रूपये नही है। हम दिनांक 26.10.2023 रिश्वत में दी जाने वाली राशि के व्यवस्था करके ले आयेगें। इस पर परिवादीगण को संदिग्ध लाईनमैन को रिश्वत राशि 9,000/— रूपये लेकर दिनांक 26.10.2023 को ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 26.10.2023 समय 02.00 पी.एम पर परिवादीगण श्री छोटूलाल व भूरालाल उपस्थित कार्यालय आये ओर मन पुलिस निरीक्षक को बताया की हमने लाईनमैन को दी जाने वाली रिश्वत राशि 9,000/— रूपये की व्यवस्था करके ले आये है। परिवादीगण को कार्यालय में बिठाया गया। इसके पश्चात समय 02.30 पी.एम पर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान हेत सहायक निदेशक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाईमाधोपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करवाकर हमराह साथ लाने हेतु रवाना किया गया। जो समय 02.45 पर पी.एम पर अपने साथ 1. श्री बबलूराम यादव पुत्र श्री अनिल कुमार यादव, जाति अहीर उम्र 27 वर्ष, निवासी गांव आमोट, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर 2. श्री नरसी प्रजापत पुत्र श्री कैलाश प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 26 वर्ष, निवासी प्रतापनगर जयपुर, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल सरंक्षण ईकाई सवाई माधोपुर को लाया तथा मन पुलिस निरीक्षक ने पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादीगण छोटूलाल व भूरालाल से दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाकर परिवादीगण द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी तथा परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात समय 03:00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री छोटूलाल से मांगने पर संदिग्ध लाईनमैन सांवलराम को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500—500 रूपये के कुल 18 नोट अर्थात कुल 9,000/—रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	500 रूपये के नोट	3FW 027821
2.	500 रूपये के नोट	OPA 861601
3.	500 रूपये के नोट	8LD 733078
4.	500 रूपये के नोट	2CK 300294
5.	500 रूपये के नोट	6UB 378313
6.	500 रूपये के नोट	3LD 817345

Vivek Sani

7.	500 रूपये के नोट	6CR 522280
8.	500 रूपये के नोट	ONS 837611
9.	500 रूपये के नोट	9SK 183123
10.	500 रूपये के नोट	5TT 136071
11.	500 रूपये के नोट	4NR 089430
12.	500 रूपये के नोट	4NR 178044
13.	500 रूपये के नोट	5GU 207424
14.	500 रूपये के नोट	6GF 472786
15.	500 रूपये के नोट	0EE 042437
16.	500 रूपये के नोट	9QE 760492
17.	500 रूपये के नोट	6TW 701674
18.	500 रूपये के नोट	OTF 502747

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात श्री रामकेश कानि. से मालखाने में रखे फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा मंगवाया जाकर रामकेश कानि. से एक अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 9,000/-रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादीगण श्री छोटूलाल व भूरालाल की जामा तलाशी गवाह श्री बबलूराम यादव से लिवाई गई तो उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद रामकेश कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 9,000/-रूपयो को परिवादी छोटूलाल की पहनी हुयी शर्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री नरसीलाल से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल में पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से गवाह नरसीलाल से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गवाह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त पारदर्शी डिस्पोजल के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले रामकेश कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे के ढक्कन को बंद करवाकर मालखाने में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में गवाह नरसीलाल के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद रामकेश कानि. से पारदर्शी डिस्पोजल के धोवन को फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व पारदर्शी डिस्पोजल को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक, रामकेश कानि. व दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी के दोनो हाथों एवं मग को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद परिवादीगण को छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस निरीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादीगण श्री छोटूलाल व भूरालाल को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर श्री छोटूलाल को सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 04:10 पी.एम.पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अब तक की हुई कार्यवाही के बारे में अवगत करवाकर मन पुलिस निरीक्षक ने सह परिवादी भूरालाल को अपनी निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री भोलाराम कानि. प्रदीप गुर्जर क.स., स्वतंत्र गवाह बबलूराम यादव को सरकारी वाहन चालक संजय कुमार के रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी छोटूलाल, नरसीलाल प्रजापत स्वतंत्र गवाह, हम्मीर सिंह कानि., रमेश कुमार कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप कम्प्यूटर प्रिन्टर

Vivek Soni

मय प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु चौथ का बरवाडा के लिये रवाना हुआ। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि. को मुनासिफ हिदायत कर कार्यालय में छोडा गया। तत्पश्चात समय 04:45 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादीगण सहित मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा चौथ का बरबाडा के पास पहुंचे। निजी वाहन व सरकारी वाहन को सडक के किनारे सुरक्षित खडा करवाया जाकर परिवादी श्री छोटूलाल के बतांये अनुसार बाडीयो का मोहल्ला, सरकारी बोरिंग के पास बालापुरा रोड, चौथ का बरवाडा के पास पहुंचकर आरोपी सावलराम लाईनमैन को रिश्वत राशि देने हेतु आवश्यक हिदायत कर वाईस रिकॉर्डर चालू कर आरोपी के पास आरोपी व परिवादी के मध्य हुई जरिये मोबाईल हुई वार्तानुसार सरकारी बोरिंग के पास बालापुरा रोड, चौथ का बरवाडा रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान परिवादी के नियत ईशारे के इन्तजार में अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुये। इसके पश्चात् समय समय 5:00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी को परिवादी श्री छोटूलाल ने रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान को अवगत कराते हुये मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी छोटूलाल के पास सरकारी बोरिंग के पास पहुंचा। जहां पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी छोटूलाल से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी ने अपने पास ही खडे व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही सावलराम लाईनमैन जिन्हाने मेरे से रिश्वत राशि 9,000/- रूपये लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जैब में रख लिये। इसके पश्चात मैने आपको और आपकी टीम को रिश्वती स्वीकृति का ईशारा कर दिया था। इसके कुछ समय बाद ही आप और आपकी टीम यहां पर आ गयी। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के बताये अनुसार पास ही खडे व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम घबराते हुये सावलराम लाईनमैन-प्रथम जी.एस.एस चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने सावलराम को परिवादी श्री छोटूलाल से 9,000/-रूपये किस बात के लिये है बाबत पूछा तो आरोपी ने बताया कि छोटूलाल 4-5 दिन से पीछे पड रहा था की मेरा काम करवा दो, इसलिये मैने छोटूलाल से डीपी व लाईन डलवाने के लिये 9,000/- रूपये लिये थे। मैने यह पैसे ठेकेदार द्वारिका प्रसाद के लिये थे। मैने छोटूलाल व उनके ग्रुप कनेक्शन की डीपी पोल पर लगा दी है। चूंकि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रोड पर लेने से वहां काफी भीड जमा हो गयी थी। इस पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशुानसार रमेश कुमार कानि. ने बांया हाथ व प्रदीप गुर्जर क0स0 ने दाहिना हाथ पकडाये गये तथा कार्यवाही करने में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण मन पुलिस निरीक्षक मय आरोपी सावलराम मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाह मय ट्रेप पार्टी के पुलिस थाना चौथ का बरवाडा पहुंचे। जहां पर आरोपी व परिवादीगण व ट्रेप पार्टी के थानाधिकारी कक्ष में पहुंचकर आरोपी सावलराम को तसल्लीदेकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना सावलराम पुत्र लडडूलाल जाति कुम्हार, उम्र 55 वर्ष, निवासी गम्भीरा, पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर हाल लाईनमैन-प्रथम जी.एस.एस चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर होना बताया। मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी से पुनः रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा तो पुनः पूर्व मे बतायी गयी बातों को दोहराई तथा पास ही खडे परिवादी छोटूलाल ने आरोपी द्वारा बतायी बात को सही होना बताया। परिवादी ने बताया की दिनांक 23.10.2023 को मैंने व भूरालाल ने एक लिखित प्रार्थना पत्र रमेश कानिस्टेबल को दी थी, इस पर दिनांक 23.10.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया था। रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान सावलराम लाईनमैन ने मेरे से 2,000/-रू. पोल पर डीपी लगाने व सात हजार रूपये वरियता अनुसार 3 फेस कनेक्शन करने के लिये सात हजार रूपये की मांग की थी। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप बाक्स मंगवाया जाकर उसमें से दो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल निकलवाकर उसको गवांह नरसीलाल से पुलिस थाना परिसर से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी मंगवाया जाकर उक्त दोनो डिस्पोजल को उचित दूरी पर रखकर बारी-बारी डलवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त स्वतंत्र गवाह से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे का ढक्कन खुलवाकर उसमें से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर निकलवाकर उक्त दोनो डिस्पोजलों में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी सावलराम लाईनमैन के दाहिने हाथ व बाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दोनो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो-दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर दाहिने हाथ के धोबन की शीशी को मार्क आर-1 व आर -2 एवं बांये हाथ की धोबन की शीशी को मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद गवाह श्री नरसीलाल से उक्त दोनो डिस्पोजल को नष्ट करवाया गया। इसके बाद आरोपी सावलराम लाईनमैन की जामा तलाशी गवाह श्री बबलूराम यादव से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब

Vivek Soni

500–500 रू. के नोटो की मुडी हुई गड्डी मिली जिसे उक्त गवाह से गिनवाया गया तो 500–500 रू. के 18 नोट कुल 9000/–रू. होना बताया। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री बबलूराम से नोटो नम्बर बुलवाये व स्वतंत्र गवाह श्री नरसीलाल से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो वही नम्बरी नोट पाये गये। रिश्वति राशि 9,000/–रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बज़ह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी सावलराम लाईनमैन को अपनी पहनी हुई शर्ट उतार कर पेश करने की कहा जिस पर उसने अपनी शर्ट उतार कर पेश की तथा स्वतन्त्र गवाह श्री नरसीलाल से ट्रेप बाक्स में से एक डिस्पोजल निकलवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बे मे से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर निकलवाकर प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रंहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी सावलराम लाईनमैन की शर्ट की सामने की बांयी जैब को उलटवा कर स्वतंत्र गवाह श्री नरसीलाल से धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क एस–1 व एस–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात आरोपी सावलराम लाईनमैन की शर्ट जिसकी सामने की बांयी तरफ की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई को सुखवाकर जैकिट की जैब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर अंकित करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "एस" अंकित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री बबलूराम यादव से आरोपी सांवलराम के पहने हुये पेन्ट की जामा तलाशी करवायी गयी तो पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी तरफ की जैब में 11,135/–रूपये व पेन कार्ड, आधार कार्ड, एसबीआई बैकं का एटीएम कार्ड विभागीय आईडी कार्ड व एक मोबाईल रियल मी कम्पनी का मिला, जिन्हे स्वतंत्र गवाह बबलूराम यादव के पास सुरक्षित रखवाये गये। चूंकि समय ऑफिस कार्यालय बन्द होने एवं एईएन व जेइएन के मोबाईल बन्द होने के कारण परिवादीगण से सम्बन्धित कार्य का प्रमाणित रिकॉर्ड प्राप्त नही किया जा सका। रिकॉर्ड पृथक से प्राप्त किया जावेगा। इसके बाद परिवादी श्री छोटूलाल को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया था, जो मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी श्री छोटूलाल एवं आरोपी सावलराम लाइनमैन प्रथम, जी.एस.एस चौथका बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट ब्यूरो कार्यालय चौकी सवाईमाधोपुर पहुंच पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादीगण श्री छोटूलाल व भूरालाल एवं आरोपी सावलराम लाईनमैन से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी छोटूलाल की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण का हालात नक्शा मौका कसींद किया गया। इसके पश्चात समय 8.15 पी.एम. आरोपी सांवलराम कुम्हार पुत्र श्री लडडूलाल, जाति कुम्हार, उम्र 55 वर्ष निवासी गांव गम्भीरा, पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर हाल लाईनमैन प्रथम जी.एस.एस चौथका बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पदनाम से अवगत कराकर तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 में लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया गया गया व जामा तलाशी में मिले 11,135/–रूपये व पेन कार्ड, आधार कार्ड, एसबीआई बैकं का एटीएम कार्ड विभागीय आईडी कार्ड व रियल मी कम्पनी एक मोबाईल को अभियुक्त के कहे अनुसार स्वंय के पुत्र रामसहाय को सुपुर्द किये। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात आरोपी सांवलराम कुम्हार लाईनमैन के विरूद्व की गई ट्रेप कार्यवाही कस्बा चौथ का बरवाडा में होने के कारण एवं आरोपी का गांव भी चौथ का बरवाडा के पास ही होने के कारण एंव स्थानीय पब्लिक एवं समाचार चैनलो के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है। इस कारण आरोपी के रिहायसी मकान की खाना तलाशी नही ली गई। इसके पश्चात अभियुक्त सांवलराम कुम्हार लाईनमैन का सीएचसी चौथ का बरवाडा में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात समय समय 9.15 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण श्री छोटूलाल व भूरालाल के समक्ष परिवादी श्री छोटूलाल के कार्य से संबंधित प्रमाणितशुदा दस्तावेज प्राप्त फर्द जप्ती अभिलेख पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय करीब 09.55 पी.एम पर बाद ट्रेप कार्यवाही मय हमराहीयान मय परिवादी छोटूलाल मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सांवलराम कुम्हार मय जप्त एवं बरामदशुदा माल बजह सबूत मय प्राईवेट व सरकारी वाहन के पुलिस थाना चौथ का बरवाडा से

पुलिस थाना मानटाउन के लिए रवाना होकर पुलिस थाना मानटाउन पहुंच कर अभियुक्त को बंद हवालात करा कर समय 11.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी छोटूलाल मय जप्त एवं बरामदशुदा माल बजह सबूत मय प्राईवेट व सरकारी वाहनों के पुलिस थाना मानटाउन से रवाना होकर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा तथा जप्त/सील शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 9,000/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क आर.–1, आर.–2, एल.–1, एल.–2 एवं एस.–1, एस–2 व शील्ड पैकिट मार्क ''एस''को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री हम्मीर सिंह कानि. को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इसके पश्चात समय 11.45 पी.एमः पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 23.10.2023 को हुई परिवादी छोटूलाल व आरोपी सांवलराम कुम्हार के मध्य हुई गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को परिवादी छोटूलाल एवं गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 23.10.2023 को को लेपटॉप से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी छोटूलाल एवं गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 23.10.2023 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री रमेश कुमार कानि0 से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क ''A-1'' व दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क ''A-2'', ''A-3'' अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 27.10.2023 समय 03.15 ए.एमः पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 26.10.2023 को हुई परिवादी छोटूलाल व आरोपी सांवलराम कुम्हार के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड है, को परिवादी छोटूलाल एवं गवाहान के समक्ष रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 26.10.2023 को लेपटॉप से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी छोटूलाल एवं गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 26.10.2023 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री रमेश कुमार कानि0 से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क ''B-1'' व दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क ''B-2'', ''B-3'' अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। इसके शील्ड शुदा दो पेन ड्राईव मार्क ''A-1'' ''B-1'' एवं शील्डशुदा दो डीवीडी मार्क ''A-2'' ''B-2'' को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री हम्मीर सिंह कानि को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इसके पश्चात समय 05.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 53 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जंरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई।

सम्पूर्ण ट्रेंप कार्यवाही से अभियुक्त सांवलराम कुम्हार लाईनमैन प्रथम जी.एस.एस चौथका बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से दिनांक 23.10.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से डी.पी. पोल पर लगाने की एवज में 2,000/– रूपये एवं परिवादी छोटूलाल के पिताजी के नाम से वरियता सूची अनुसार 3 फेस कनेक्शन करवाने की एवज में 7,000/– रूपये रिश्वती राशि अर्थात कुल 9,000/– रूपये रिश्वती राशि की मांग करना एवं रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 26.10.2023 को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी सांवलराम द्वारा परिवादी छोटूलाल से आरोपी द्वारा बताये गये स्थान बाडीयो का मोहल्ला, सरकारी बोरिंग के पास बालापुरा रोड, चौथ का बरबाडा पर बुलाकर आरोपी सांवलराम लाईनमैन को 9,000/– रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडे जाना आरोपित सांवलराम कुम्हार पुत्र श्री लडडूलाल, जाति कुम्हार, उम्र 55 वर्ष निवासी गांव गम्भीरा, पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर हाल लाईनमैन प्रथम जी.एस.एस चौथका बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

Vivek Soni
(विवेक सोनी)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सवाई माधोपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विवेक सोनी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री सांवलराम कुम्हार पुत्र लडडूराम, हाल लाईनमैन, प्रथम, जी.एस.एस.,चौथ का बरवाड़ा, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 281/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27/10/23
(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः– 2976–79 दिनांक 27.10.2023

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प.व.स.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सवाई माधोपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।